


विभाग का नाम:-  
विभाग का पता :-  
अतारांकित प्रश्न संख्या :-  
प्रश्नकर्ता का नाम:-  
दिनांक:

परिवहन, दिल्ली सरकार  
5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली - 110054।  
134  
श्री सुरेन्द्र सिंह  
21. 03. 2018

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न	उत्तर
क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा सन् 2012 में सीबी नारायणा गांव में युमना विहार से मुकुंदपुर (लाईन 07) प्रोजेक्ट फेज-3 का कार्य करने के लिए कुछ जमीन इस्तेमाल के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से ली गई थी;	डीएमआरसी ने अस्थायी रूप से आई.एफ.सी.डी. (इरीगेशन एवं फल्ट कंट्रोल विभाग) द्वारा एनओसी प्राप्त करने के बाद निर्माण कार्यों के लिए कथित भूमि को ग्रहण किया था, यह भूमि पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा आई.एफ.सी.डी. को सौंपी गई थी। अब काम पूरा हो गया है और उक्त भूमि तीन महीने के भीतर आई.एफ.सी.डी. को सौंप दी जाएगी।
ख) यदि हाँ तो क्या यह भूमि वापस पीडब्ल्यूडी को हैण्ड ओवर कर दी गई है;	
ग) यदि नहीं, तो यह जमीन वर्तमान में किसके स्वामित्व में है;	
घ) क्या इस जमीन का कुछ किराया लिया गया है;	कथित भूमि के लिए डीएमआरसी द्वारा कोई किराया नहीं दिया गया है।
ड.) क्या यह सत्य है कि इस भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया जा रहा है;	जो भूमि डीएमआरसी के पास है उसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।
च) यदि हां, तो सरकार इस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है;	
छ) क्या यह भी सत्य है कि इस जमीन पर दिल्ली सरकार द्वारा बारात घर, पार्क व तालाब का निर्माण व सौंदर्यीकरण किया जाना प्रस्तावित था; और	सूचना लोक निर्माण विभाग से संबन्धित है इसलिए सूचना उनसे एकत्रित की जा रही है।
ज) यदि हाँ, तो ये कार्य कब तक शुरू कर दिए जायेंगे?	

हस्ताक्षर

  
(वर्षा जोशी)  
विभागाध्यक्ष

VARSHA JOSHI, IAS  
Secretary cum Commissioner (Tpt)  
Transport Department  
GNCT Delhi  
5/9, Under Hill Road, Delhi